

वाद संख्या = 04/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना (नागौर)

वाद संख्या 4/21

-: आदेश :-

दिनांक 19/8/21

1. वाद पत्र पर सलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया जिसके अनुसार पटवार मण्डल निसा ने वर्तमान जमाबंदी सम्बन्ध 2075-78 खाता सं. 365

खान 558, 559 ग्राम में खातेदारान का नाम व हिस्सा खिचनाराण पुत्र सुनाराम 200/11813 बेजाराण पुत्र
वाल्दाराण 400/11813 राजेन्द्र मोदी पुत्र रामपाल 400/11813 इगाराण पुत्र वाल्दाराण 800/11813 जीवणाराण पुत्र
राण 400/11813 सुकनाराण पुत्र इगाराण 400/11813 नवी देवी पति अमलाल 200/11813 जरीना बानो पति
सरवराव 600/11813 पुनी बानो पति मनवाब 600/11813 अमलबाल पुत्र अलीमवा 400/11813 अमलनाथ पुत्र
सुरजमल 200/11813 शिवालय पुत्र सुरजमल 200/11813 प्रमोद कुमार पुत्र शानसिद्धन 400/11813 साडे
 पुत्र रिकार्ड है, के बजाय जीवणाराण पुत्र नमनाराण 2600/46557 केशदेवी पति खिचनाराण मोदी देवी पति
सुरजमल 4000/46557 जीवणाराण पुत्र वाल्दाराण 200/46557 मोदी देवी पति धीतराम 3600/46557
सरवराव पुत्र अलीमवा 3910/46557 जरीना बानो पति सरवराव 3910/46557 मन्त्र देवी 10
राजेश कुमार 7381/46557 कबूल बेगम 10 अस्त अलीमवा 840/46557 अमलबानो पति
जानीमवा 1080/46557 सुरजमल पुत्र सुरजमल 387/46557 साडे खोदेण

घोषित करने का वाद पत्र प्रस्तुत किया


2. भूमिधारी तहसीलदार डीडवाना द्वारा भी इस बाबत अनुशंघा की है।

3. अतः उक्त वाद पत्र अनुसार निम्न खातेदारान जीवणाराण पुत्र नमनाराण 7600/46557 केशदेवी पति
खिचनाराण मोदी देवी पति सुरजमल 4000/46557 जीवणाराण पुत्र वाल्दाराण 200/46557 मोदी
 देवी पति धीतराम 3600/46557 सरवराव पुत्र अलीमवा 3910/46557 जरीना बानो
 पति सरवराव 3910/46557 मन्त्र देवी 10 राजेश कुमार 7381/46557 कबूल बेगम
 10 अस्त अलीमवा 840/46557 अमलबानो पति जानीमवा 1080/46557 सुरजमल पुत्र सुरजमल
 387/46557 साडे खोदेण नयमल पुत्र जगन्नाथ घोषित किया जखर पुनी
 सपनाराण पुत्र जगन्नाथ कशीपुत्र पुत्र अलीमवा नवी देवी पति लेखनी 10/46557 कोन पटवार साडे

4. उक्त हिस्सा/खातेदारी की घोषणा DILRMP प्रोग्राम के तहत हिस्सा मिलान न होने के कारण घोषित की जा रही है। नवीन तथ्य की जानकारी आने पर प्रभावित पक्षकार सुधार हेतु इस न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

5. जमाबंदी की कैफियत में इस आशय का अंकन किया जावे।

पत्रावली फेराल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल इफतार रहें। निर्णय आज दिनांक.....को सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी

